न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ.राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 32/2020
जी.सी.एम.एस नम्बर : 2020/00089

प्रार्थी:–
सुखीदेवी पत्नी श्री भाणाराम जाति बावरी
निवासी ग्राम सुरायता, तहसील सोजत
जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण:–
1. सत्यनारायण पुत्र श्री भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम सुरायता तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –
श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मांगीलाल प्रजापत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

–: निर्णय :–

दिनांक:– 29-2-2024

प्रार्थीया ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा जारी मिसल संख्या 296/2017 सकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2017 की पालना में अप्रार्थी श्री सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल के पक्ष में जारी पटटा संख्या 27 दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया के ससुराल ग्राम सुरायता में प्रार्थीया का पैतृक भुखण्ड आया हुआ है जिस पर प्रार्थीया का मकान बना हुआ है जिसमें वह अपने परिवार सहित निवास कर रही है। उक्त भुखण्ड का क्षैत्रफल 60 फिट बाई 130 फिट है जिसके कुछ भाग पर सरकार की इन्द्रा आवास योजना के तहत मकान बना हुआ है जिसे बने हुए लगभग 05 वर्ष से अधिक समय हो गया है। उक्त भुखण्ड पैतृक भुखण्ड है, जिसका पडौस उत्तर में भाणाराम जी का मकान, दक्षिण में पानी का नाला, पुर्व में भंवरलाल व नेनसिंह जी का मकान एवं पश्चिम में छोगाराम का मकान आया हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी सख्या एक को अनुचित लाभ पंहुचाने कि नियत से बिना मौका देख एवं तथ्यों की जांच किये गये पंचायत नियमों अवहेलना करते हुए उक्त भुखण्ड के 20 फीट बाई 21 फिट यानी 420 वर्गफिट का कुटरचित एवं फर्जी जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत व्यक्ति का आबादी भुमि पर पुराने गृह का कब्जा रखते है एवं पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है उन्हे पट्टा जारी किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में अप्रार्थी संख्या 01 का जैर निगरानी आराजी पर कभी कब्जा था ही नही। प्रार्थीया व उसका परिवार वर्षो से जैर आराजी भुखण्ड पर काबिज है एवं सरकार की इन्द्रा आवास योजना का लाभ लेकर मकान का निर्माण करवा कर निवास कर रहे है। अप्रार्थी सत्यनारायण जैर निगरानी पट्टे की आड में प्रार्थीया को जैर निगरानी भुखण्ड पर बने आवास को खाली करने की धमकी दे रहा है एवं खाली नही करने की दशा में जैर निगरानी पट्टे की आड में पुलिस कार्यवाही करने की धमकी दे रहा है। वास्तविकता में जैर निगरानी पट्टा बाले बाले जारी किया गया है जिसके सन्दर्भ में किसी प्रकार की मिसल कायम किये बगैर एवं ग्राम पचांयत मे किसी प्रकार का आवेदन एवं प्रस्ताव लिये बगैर पंचायती राज नियमो के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया है। पट्टे पर पट्टा जारी किया गया है पट्टे पर सरपंच अथवा ग्राम सेवक के साईन नही है। पट्टे की भुमि पर इन्द्रा आवास के तहत मकान बना हुआ है। अतः जैर निगरानी पट्टा काबिल खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर पाली

वकिल अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया है कि जैर निगरानी आराजी के संबध में सुखी देवी या उसके परिवार के किसी सदस्यो को ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का पट्टा जारी नही किया गया है न ही इस के सबध में ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड है।सत्यनाराण को पट्टा पंचायती राज नियमों के तहत जारी किया गया है आवंटित भूमि के मूल पट्टे पर सरपंच एंव ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है एंव विधिनुसार जारी किया गया है। अप्रार्थी मौके पर काबिज है। ग्राम पंचायत के रेकर्ड में मिसल नही मिलने से जैर निगरानी पट्टे को खारिज करने का कोई आधार नही है। जैर निगरानी आराजी पर पट्टाधारक काबिज है जिसके आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थीया जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर कब्जा करने एवं परेशान करने की नियत से प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया है, जबकि उक्त आराजी के संबध में प्रार्थी के पास कोई दस्तावेज नही है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, सुरायता द्वारा जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 17.01.2018 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी के संबध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड तलब करने पर मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर नही होने एवं मात्र पट्टा बुक होने से जैर निगरानी आराजी के मूल पट्टे का अवलोकन किया गया जिसे देखने पर पाया गया कि जैर निगरानी पट्टे पर ग्राम सेवक की केवल मोहर लगी हुई है हस्ताक्षर नही किये हुए है न ही सरपंच के हस्ताक्षर है जिसमें न तो गवाहों का नाम अंकित है तथा न ही गवाहों के हस्ताक्षर है। इससे यह स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा व पट्टा विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने पट्टे की छाया प्रति पेश की जो ग्राम पंचायत से प्राप्त मुल पट्टे से मिलान नही होने से उसे वैधानिक नही माना जा सकता है।

जैर निगरानी पट्टे से सम्बद्ध ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल पट्टा बुक सख्या 82 जिसमें पट्टा संख्या 1 से 50 जारी किये गये है उसका अवलोकन करने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 से 21 व 24 से 27, 29 से 32, 34 से 38, 41 से 50 पर ग्राम सेवक व सरपंच के हस्ताक्षर ही नही किये गये है तथा पट्टा संख्या 22,23 व 28,39,40 पर ग्राम सेवक के तो हस्ताक्षर है पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है।

ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत सुरायता ने अप्रार्थी सत्यनारायण के नाम नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सुरायता द्वारा अप्रार्थी सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 17.1.2018 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल पट्टा बुक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् पाली एवं विकास अधिकारी सोजत को निर्णय की प्रति इन निर्देशों के साथ भेजी जाती है कि वे जैर निगरानी पट्टे से संबंधित ग्राम पंचायत सुरायता पंचायत समिति सोजत की पट्टा बुक संख्या 82 में जारी पट्टो की जांच कर विधिनुकुल कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति॰ जिला कलेक्टर, पाली